

सं. ए-41020/01/2021-प्रशा.।

संघ लोक सेवा आयोग

(प्रशासन-। अनुभाग)

धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,

नई दिल्ली-110069

दिनांक: 04 दिसम्बर, 2023

परिपत्र

विषय:- संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों का संविदा आधार पर नियोजन-तत्संबंधी।

संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में संविदा आधार पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार निजी सचिव (पी एस) / वैयक्तिक सहायक (पी ए) स्तर पर परामर्शदाता के रूप में परिनियोजन हेतु पैनल तैयार करने के लिए, भारत सरकार के किसी मंत्रालय / विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके या 30.11.2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करता है:-


पदों की संख्या	आयु सीमा	पात्रता	प्रति माह पारिश्रमिक
06	अंतिम तिथि तक 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं होनी चाहिए।	क) भारत सरकार के किसी मंत्रालय / विभाग से निजी सचिव या वैयक्तिक सहायक या समकक्ष रैंक अर्थात् 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार (पूर्व संशोधित, वेतनमान-2 / वेतनमान-3 में ग्रेड पे- 4600/-, ग्रेड पे-4800/- और ग्रेड पे- 5400) के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-07 से स्तर-10 तक के पद से सेवानिवृत्त होना चाहिए। ख) अंग्रेजी टंकण में दक्ष होना चाहिए क्योंकि कार्यभार में व्यापक टंकण कार्य शामिल है।	-- सेवानिवृत्ति के समय आहरित मूल वेतन से पेंशन को घटाकर गणना की जाएगी। -- एनपीएस के साथ सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों हेतु, सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन का 30% के समकक्ष को अंतिम मूल वेतन से घटाकर एवं परिणामी राशि नियत


A. Gomez

		ग) कार्यालय के दैनिक क्रियाकलाप में कंप्यूटर अनुप्रयोग का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।	मासिक पारिश्रमिक के रूप में देय होगी। -- परामर्शदाता, सेवानिवृत्ति के समय लागू दर पर परिवहन भत्ता पाने के भी हकदार होंगे।
--	--	---	--

2. उपर्युक्त परिनियोजन के पात्रता मानदंड, संदर्भ की अवधि आदि सहित विवरण आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.upsc.gov.in पर उपलब्ध है।
3. इच्छुक उम्मीदवार, जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद लिफाफे में जमा कर सकते हैं, जिस पर "संघ लोक सेवा आयोग में संविदा आधार पर परामर्शदाता-निजी सचिव / वैयक्तिक सहायक स्तर के रूप में परिनियोजन के लिए आवेदन" लिखा हुआ हो जो अधिकतम दिनांक 31/12/2023 तक निम्नलिखित पते पर पहुँच जाना चाहिए।

अवर सचिव (प्रशा.),
कमरा सं.11, एनेक्सी भवन (भूतल),
संघ लोक सेवा आयोग,
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली - 110069


(शैलेश गौतम)
उप सचिव (प्रशा.)
संघ लोक सेवा आयोग
दूरभाष नं.23381665



प्रपत्र

संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में निजी सचिव / वैयक्तिक सहायक स्तर पर परामर्शदाता के परिनियोजन के लिए आवेदन

1.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)						
2.	शैक्षणिक योग्यता						
3.	जन्म तिथि						
4.	सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि						
5.	आधार सं. एवं पैन सं. (प्रत्येक की जेरोक्स प्रतिलिपि संलग्न करें)						
6.	पी पी ओ सं. (जेरोक्स प्रतिलिपि संलग्न करें)						
7.	दूरभाष सं. / मोबाइल नं. सहित निवास का पूरा पता						
8.	अंतिम कार्यालय का पता (सेवानिवृत्ति के समय)						
9.	ई-मेल आईडी						
10.	सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले के अंतिम पाँच वर्षों के दौरान सरकारी सेवा में अनुभव का संक्षिप्त विवरण। (पृथक शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो।)	धारित पद	से	तक	वेतन मैट्रिक्स में वेतन बैंड / ग्रेड पे / स्तर	अनुभव का क्षेत्र	अंतिम आहरित वेतन एवं मूल पेंशन

Arjun

11.	ओपीएस / एनपीएस के साथ सेवानिवृत्त	
12.	उक्त नियोजन के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त संगत सूचना, यदि कोई हो, यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।	

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। इसके अतिरिक्त, मैं घोषणा करता हूं कि अपनी सेवानिवृत्ति के समय मेरे विरुद्ध सतर्कता के दृष्टिकोण से कोई भी मामला नहीं था। मैंने इस दस्तावेज को पढ़ लिया है और परामर्शदाताओं के नियोजन के लिए सभी निबंधन और शर्तें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान:

Ahmed

निबंधन एवं शर्तें

1. नियोजन की अवधि

नियोजन प्रारंभ में 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे कार्यालय की कार्यात्मक आवश्यकता या परामर्शदाता के कार्य निष्पादन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से बढ़ाया या कम किया जा सकता है।

2. चयन प्रक्रिया

नियोजन पूरी तरह संविदा आधारित होगा। इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों को आवेदकों के अनुभव एवं योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। परामर्शदाता शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से चुने जाएंगे।

>> संघ लोक सेवा आयोग के पास किसी भी आवेदन को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

3. पारिश्रमिक

एक निश्चित मासिक राशि देय होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन से मूल पेंशन घटाकर निकाली जाएगी एवं एन पी एस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों हेतु, सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम मूल वेतन के 30% के समकक्ष राशि को अंतिम मूल वेतन से घटाया जाएगा एवं परिणामी राशि पारिश्रमिक के रूप में मासिक राशि निर्धारित की जाएगी। इस तरह निर्धारित की गई पारिश्रमिक राशि संविदा की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी और संविदा अवधि के दौरान किसी भी वार्षिक वेतन वृद्धि / प्रतिशतता में वृद्धि नहीं की जाएगी। कोई भी महंगाई भत्ता / मकान किराया भत्ता, रिहायशी आवास देय नहीं होगा।

4. कार्य क्षेत्र

इस तरह के नियोजन की अवधि के दौरान, परामर्शदाता को आयोग की संबंधित शाखा जिसमें वे परामर्शदाता के रूप कार्य करने हेतु पदस्थापित किए जाएंगे, के शाखा प्रमुख द्वारा सौंपे गए कार्य को निष्पादित करना अपेक्षित होगा।

Ahmed

5. **अवकाश**

परामर्शदाता सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने हेतु 1.5 दिनों की दर से वैतनिक अवकाश हेतु हकदार होंगे। कैलेंडर वर्ष से परे अवकाश के संचयीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में, परामर्शदाताओं को छुट्टियों में या सामान्य कार्य घंटों से परे भी सेवा हेतु बुलाया जा सकता है जिसके लिए उन्हें कोई भी अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। हालांकि, शनिवार/रविवार/ अन्य राजपत्रित अवकाश पर कार्यालय आने के लिए उन्हें प्रतिपूर्ति अवकाश दिया जा सकता है।

6. **परिवहन भत्ता**

निवास और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के प्रयोजन हेतु परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति को लागू दर से अधिक नहीं होगी।

कार्यभार ग्रहण करने या इसके पूर्ण करने हेतु कोई भी टीए / डीए देय नहीं है। हालांकि, जब भी उन्हें आयोग के कार्य के संबंध में दिल्ली से बाहर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो परामर्शदाता, संघ लोक सेवा आयोग में समकक्ष स्तर के किसी भी सेवारत अधिकारी पर लागू सामान्य नियमों के अनुसार टीए / डीए प्राप्त करने के हकदार होंगे।

7. **कार्यालय समय एवं कार्य घंटे**

परामर्शदाताओं का नियोजन पूर्णकालिक आधार पर होगा। कार्य दिवसों के दौरान कार्य का समय प्रातः 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक होगा, जिसमें बीच में आधे घंटे का भोजन अवकाश भी शामिल होगा। उन्हें संविदात्मक नियोजन की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यकता होने पर, परामर्शदाताओं को शनिवार / रविवार / अन्य राजपत्रित छुट्टियों पर कार्यालय बुलाया जा सकता है। परामर्शदाता को बायो-मैट्रिक सिस्टम में या समय-समय पर निर्धारित किसी अन्य प्रणाली से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी अपेक्षित होगा।

Arjun

8. स्रोत से कर कटौती

आयकर या कोई अन्य कर, जो कटौती करने योग्य हो, प्रचलित नियमों के अनुसार, भुगतान करने से पहले स्रोत से पर काटा जाएगा जिसके लिए कार्यालय टी डी एस प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

9. डाटा एवं दस्तावेजों की गोपनीयता

एकत्र किए गए डाटा के साथ-साथ कार्यालय के लिए प्रस्तुत डिलीवरेबल्स के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) इस कार्यालय के पास रहेंगे। कार्यालय की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना कोई भी इस कार्य के प्रयोजन के लिए कार्यालय के लिए कार्य के दौरान एकत्र किए गए डाटा या आंकड़ों या कार्यवाही या जानकारी के किसी भी हिस्से का उपयोग या प्रकाशन या खुलासा किसी भी तीसरे पक्ष से नहीं करेगा। परामर्शदाता संविदा की समाप्ति से पहले और कार्यालय द्वारा अंतिम भुगतान जारी होने से पहले कार्यालय को कार्य के रिकॉर्ड का पूरा सेट सौंपने के लिए बाध्य होगा।

10. हितों का टकराव

इस कार्यालय द्वारा नियुक्त परामर्शदाता किसी भी मामले में दूसरों को अभ्यावेदन या राय या सलाह किसी भी रूप में नहीं देगा जो कार्यालय के हित के प्रतिकूल हों। परामर्श अवधि के दौरान किसी भी परामर्शदाता को कोई अन्य कार्यभार लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. सेवा की समाप्ति

कार्यालय द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए 07 दिन का नोटिस देकर नियोजन समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई परामर्शदाता अपना कार्यभार छोड़ना चाहता है, तो उसे 07 दिनों का नोटिस देना होगा, जिसे कार्यभार के आधार पर घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

>> यदि कोई परामर्शदाता किसी भी कारण से अयोग्य पाया जाता है या किसी अवज्ञा/कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।

12. सं.लो.से.आ. किसी भी ऐसी हानि, दुर्घटना, क्षति, चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा; जो परामर्शदाता को यात्रा सहित उसके कार्य के निष्पादन में हुई हो।

13. आवेदन जमा करने हेतु दिशा-निर्देश

निर्धारित प्रपत्र में विधिवत पूरा भरा गया आवेदन **31.12.2023** तक कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। उपर्युक्त तारीख के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों सहित जमा किया जाना चाहिए:-

- क) सेवानिवृत्ति अधिसूचना की प्रति।
- ख) पी पी ओ की प्रति।
- ग) अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की प्रति।
- घ) पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति-अनिवार्य।

